भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 153

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों के रूप में प्राचीन स्मारकों का विकास

153. श्री इलामारम करीमः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने हमारे प्राचीन स्मारकों के लिए पर्यटन की संभावना में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मुगल काल के दौरान बनाए गए कुछ स्मारकों को कट्टरपंथी समूहों, जो उन्हें विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है; और

(ग) ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) : हमारे प्राचीन स्मारकों में पर्यटन की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं :

1. 'धरोहर अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान', पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध ढंग से पर्यटन संभावना तथा सांस्कृतिक महत्व के संवर्धन हेतु विरासत स्थलों का विकास करना और उन्हें पर्यटक अनुकूल बनाना है ।

- इसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपिनयों, निजी क्षेत्र की कंपिनयों और नैगमिक व्यक्तियों तथा गैर सरकारी संगठनों को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है ।
- 'एक धरोहर अपनाएं - अपनी धरोहर, अपनी पहचान' परियोजना के अंतर्गत स्मारक मित्रों का चयन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है : -
    - ✓ आवश्यकता - अंतराल विश्लेषण
    - ✓ लक्ष्य - विकास
    - ✓ अप्रेक्षाकृत कम पसिद्ध तथा कम पर्यटकों वाले स्थलों को अपनाना
    - ✓ प्रचालन तथा रख-रखाव योजना
    - ✓ दृश्यता संबंधी आवश्यकता और योजना
    - ✓ स्मारक मित्रों के प्रत्यय पत्र

- इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल नीचे सूचीबद्ध हैं :
    - ✓ एएसआई के तहत सूचीबद्ध टिकट वाले स्थल
    - ✓ अन्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल
    - ✓ कोई अन्य पर्यटक स्थल अथवा स्मारक

- यह परियोजनाएं मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलबध कराने पर केंद्रित है जिनमें साफ-सफाई, जन सुविधाएं, सुरक्षित पेय जल, पर्यटकों हेतु आसान पहुंच, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, वाई-फाई आदि और साउंड एवं लाइट शोज, मूलभूत उपहार गृह तथा अल्पाहार, काउंटर आदि सहित पर्यटक सुविधा केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं ।
- कुल 580 से ज्यादा पंजीकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 37 एजेंसियों (जिन्हें स्मारक मित्र कहा गया है) को भारत में कुल 107 स्मारकों/पर्यटक स्थलों के लिए विज़न बोली प्रस्तुत करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किए गए हैं ।

2. स्वदेश दर्शन योजना के तहत चयनित पर्यटक परिपथों के लिए पर्यटन संबंधी सेवाओं, पर्यटन अवसंरचना, पर्यटन मैपिंग तथा प्रबंधन के विकास और संवर्धन एवं ऑनलाइन प्रजेंस के लिए राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. प्रशाद योजना के तहत विभिन्न राज्यों में चयनित तीर्थ गंतव्यों के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जात है ।

4. देश में प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के विकास की पहल की गई है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- ✓ वैश्विक मानकों के अनुसार चयनित प्रतिष्ठित स्थलों का समग्र विकास ।
- ✓ स्थायी पर्यटन अवसंरचना का विकास ।
- ✓ सुदृढ़ प्रचालन एवं रख-रखाव योजना ।
- ✓ प्रतिष्ठित स्थलों का प्रचार एवं संवर्धन ।
- ✓ सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजन

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से देश में विकास हेतु 12 क्लस्टरों में 17 स्थलों का चयन किया है ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

****